प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष .....2023.....
2. प्र.सू.रि.सं.....89/2023..... दिनांक 21/04/2023.....

(I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधन वर्ष 2018)** धारा – 7

(II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – .....

(III) * अधिनियम..... .....–..... धाराएं.....–.....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....383.....समय.....4:00 pm.....

(ब) अपराध घटने का दिन व समय– शनिवार **दिनांक 10.12.2022 वक्त 03:56 पी.एम**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – .....08.12.2022 वक्त 03:30 पी.एम..... .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर करीब 175 किमी

(ब) पता – पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर
बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – श्री मनफूल

(ब) पिता/पति का नाम – श्री लालाराम

(स) जन्म तिथि/आयु – 37 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....

(र) पेशा – –

(ल) पता – चक 3–के, गांव 15ए–बी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

- श्री मोटाराम पुत्र जोराराम निवासी गांव रामका, पो. न्यौलवी, तहसील व थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ वर्तमान पदस्थापित–उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....–.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 08.12.2022 को परिवादी श्री मनफूल पुत्र लालाराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष निवासी चक 3–के गांव 15ए–बी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर ने श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के समक्ष उपस्थित होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट "सेवा में, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिला बीकानेर, विषयः विधिवत कार्यवाही करवाने बाबत।, महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी मनफूल पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 के तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। मेरा मेरी पत्नी सुमन निवासी सूरतगढ के साथ अनबन चल रही है। मेरी पत्नी ने कोर्ट के जरिये थाना सूरतगढ शहर में एफआईआर नं. 668/2022 धारा 450, 376, 420, 120बी, 323 आईपीसी मेरे विरुद्ध दर्ज करवाई है। तारीख 06.12.2022 को दोपहर 2.07 मिनट पर मोबाईल नं. 9460215042 से मेरे मोबाइल नं. 6377693681 पर फोन आया और कहा कि मैं मोटाराम थानेदार सूरतगढ से बोल रहा हूं तेरे खिलाफ 376 का केस दर्ज हुआ है। थाना सूरतगढ शहर आजा, तब मैं दिनांक 07.12.2022 को थाना सूरतगढ शहर गया, उस दिन भी 3 बार फोन आया था। दोपहर में थाना पहुंचा तो मोटाराम थानेदार मिला जिसने मेरे को थाना में बिठा दिया, दिन

भर बैठाये रखा उस समय सीआई साहब थाने में नहीं थे। शाम को करीब 6 बजे सीआई साहब थाने में आये तब मोटाराम ने मेरे को सीआई साहब के पेश किया, सीआई साहब ने कहा कि बंद करो इसको यह बदमाश है। मैंने कहा पत्नी का घरेलू मामला है, मैं बैठकर सुलह कर लूंगा तब सीआई साहब ने मोटाराम के साथ मुझे भेजा और कहा इससे बात कर लो, मैं मोटाराम के ऑफिस में उनके साथ चला गया तो मोटाराम ने मेरे से 50,000 रुपये की मांग की और कहा हम एफआर लगा देंगे और 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा मैं होटल पर दिहाड़ी करता हूं, इतने पैसे मेरे नहीं बन पायेंगे तो मोटाराम थानेदार अंदर करने की धमकी देता रहा तब मैंने डर के मारे कहा कि कुछ ना कुछ दिहाड़ी लाकर दे दूंगा। तब मुझे थाने से छोड़ा, दूसरे दिन 50,000 रुपये लेकर आने के लिए कहकर मुझे भेज दिया। मोटाराम थानेदार थाना सूरतगढ शहर मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमे में एफआर लगाने के नाम से 50,000 रुपये की मांग कर रहा है। उचित विधिवत कार्यवाही करने की कार्यवाही करें। दिनांक 08.12.2022, प्रार्थी एस.डी. मनफूल, मनफूल पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी चक 3 के, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर" पेश की। श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री मनफूल से परिचय करवाया जाकर कानूनी कार्यवाही करने हेतु उक्त रिपोर्ट सुपुर्द कर निर्देशित किया।

इस पर परिवादी श्री मनफूल को हमराह लेकर मैं पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट को पढकर परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की गई। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक के पूछने पर बताया कि "आपको दी गई रिपोर्ट मेरे द्वारा मेरे विश्वसनीय स्थान से टाईप करवाई गई गई है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। मैंने कक्षा 10 तक शिक्षा ग्रहण की हुई है। मुझे मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सं. 668 दिनांक 06.12.2022 पुलिस थाना सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर में सर्वप्रथम मोटाराम थानेदार ने ही दिनांक 06.12.2022 व 07.12.2022 को कॉल करके कागज लेकर अनुसंधान हेतु थाने बुलाया था जिस पर मैं दिनांक 07.12.2022 को दोपहर में सूरतगढ थाने में जाकर मोटाराम थानेदार से मिला था तो उन्होंने सीआई साहब के आने तक मुझे थाने में बिठा दिया था। मोटाराम थानेदार से मिलने के समय उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस मुकदमा नंबर 668/2022 की जांच कर रहा हूं और उसके बाद मोटाराम जी ने मुझे सीआई साहब श्री रामकुमार जी से मिलवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि बंद करो इसको यह बदमाश है। इसके बाद सीआई साहब ने मुझे मोटाराम के साथ भेजा और कहा कि मोटाराम जी से बात कर लो। उसके बाद मोटाराम जी मुझे अपने थाने वाले ऑफिस में ले गए और मुझे कहा कि तुम्हारा मामला 376 आईपीसी का है, अगर हम इस मुकदमे में एफआर लगा देंगे जिसके लिए खर्चे के 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने मोटाराम जी थानेदार को मेरे पक्ष की बातें बताई और उनको कुछ कागज भी दिए थे तो उन्होंने वह कागज लेकर एक सिपाही को दे दिए थे। मैंने कुछ रुपयों का प्रबंध करके मोटाराम जी को देने तथा मेरे पक्ष के सबूत लाने के लिए मोटाराम जी थानेदार से 2 दिन का समय मांग लिया था। इसके बाद मोटाराम जी ने मुझे थाने से छोड़ दिया था। मोटाराम जी के अलावा मुझसे किसी ने इस मामले में रिश्वत की मांग नहीं की थी। मोटाराम थानेदार पहले अनूपगढ थाने में रह चुके हैं व मैं भी अनूपगढ का रहने वाला हूं इसलिए मैं उनको पहले से भी जानता हूं। मेरा मोटाराम जी से किसी प्रकार का उधारी का लेनदेन भी नहीं है, न ही कोई शत्रुता है। मैं मोटाराम जी को मेरे मामले में किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता हूं और उनको एसीबी की कार्यवाही करवाकर ट्रैप करवाना चाहता हूं।" परिवादी श्री मनफूल ने 4 पृष्ठीय उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 668/2022 की स्वप्रमाणित फोटोप्रति प्रस्तुत की है जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। रिपोर्ट परिवादी एवं पूछताछ से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाए जाने पर परिवादी श्री मनफूल को रिश्वत मांग की सत्यापन प्रकिया व आवश्यकता समझाई गई। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया कि "एफआईआर के अनुसार मुकदमे के जांच अधिकारी सीआई साहब श्री रामकुमार जी हैं लेकिन इसमें सीआई साहब ने मामले की जांच मोटारामजी थानेदार को ही सौंप रखी है। मुझसे मुकदमे की जांच और उसमें रिश्वत मांगने से संबंधित अब तक की सारी बात मुझसे मोटारामजी ने ही की है। मैं कल दिनांक 09.12.2022 को पुलिस थाना सूरतगढ में जाकर मोटाराम जी थानेदार के बुलाए अनुसार उनसे पुनः मिलूंगा और उनके द्वारा मुझसे इस मामले में मांगी जा रही रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं।" इस पर श्री कन्हैयालाल कानि. 312 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात् श्री कन्हैयालाल कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर कन्हैयालाल कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना से प्रापत कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री मनफूल व श्री कन्हैयालाल कानि. को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता

रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। परिवादी ने बताया कि मैं दिनांक 09.12.2022 को सीधे ही सूरतगढ पहुंच जाउंगा तथा कन्हैयालाल कानि. से संपर्क करके श्री मोटाराम जी थानेदार से उनके द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। परिवादी को निर्देशित किया गया कि यदि इस दौरान मोटाराम जी थानेदार द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है तो अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाएं। कन्हैयालाल कानि. को सूरतगढ में संपर्क करने आदि संबंधी उचित निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी श्री मनफूल को ब्यूरो से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

दिनांक 09.12.2022 को समय 07:30 एएम पर श्री कन्हैयालाल कानि. को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से संपर्क कर आरोपी द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने के निर्देश दिए जाकर ब्यूरो चौकी से सूरतगढ के लिए रवाना किया गया। समय 03:00 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक की कन्हैयालाल कानि. से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता हुई। कानि. ने बताया कि परिवादी श्री मनफूल को निर्देशानुसार श्री मोटाराम थानेदार जी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके भेजा गया था, परिवादी अभी लौटा है। कानि. ने परिवादी से बात करवाई तो परिवादी ने बताया कि "मैंने थाने में जाकर मेरे 376 के मुकदमे की फाईल के डॉक्यूमेंट मोटाराम थानेदार को दिखाए तो उन्होंने वह डॉक्यूमेंट थाने के रीडर हनुमान जी को देने के लिए कहा। मैंने वह डॉक्यूमेंट हनुमानजी रीडर को दे दिए थे, उसके बाद मोटाराम जी ने थाने के रीडर हनुमान जी के सामने ही मुझसे बात भी की थी और मुझे कुछ अन्य कागज व गवाह आदि लेकर कल पुनः थाने पर बुलाया है, मोटाराम जी मुझसे कल दिनांक 10.12.2022 को रिश्वत मांग की आवश्यक करेंगे, आज वह काफी व्यस्त थे और उनके आस पास लगातार कोई न कोई मौजूद था, रीडर या अन्य किसी ने मुझसे रिश्वत संबंधी कोई बात नहीं की थी।" परिवादी के बताए अनुसार तथ्यों के आधार पर परिवादी को दिनांक 10.12.2022 को पुनः सूरतगढ थाने में भेजकर आरोपी अधिकारी श्री मोटाराम थानेदार की रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को इस हेतु निर्देश दिए गए तथा कन्हैयालाल कानि. को भी दिनांक 10.12.2022 के सत्यापन के कार्य हेतु पाबंद किया गया व अपनी सुविधानुसार गोपनीय स्थान पर मुकीम रहते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

दिनांक 10.12.2022 को समय 03:56 पीएम पर कन्हैयालाल कानि. से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता हुई। कानि. ने बताया कि "परिवादी श्री मनफूल को निर्देशानुसार श्री मोटाराम थानेदार जी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके भेजा गया था, परिवादी अभी लौटा है।" कानि. ने परिवादी से बात करवाई तो परिवादी ने बताया कि "मैं थाने में जाकर सबसे पहले मोटाराम जी थानेदार से मिला था तो उन्होंने मेरे लाए हुए डॉक्यूमेंट को देखकर हनुमानजी रीडर के पास भेज दिया था। हनुमानजी ने मेरे कागज रखकर एक दो गवाह और बुलाए हैं तथा मुझे सोमवार दिनांक 12.12.2022 को हमारे मामले में आमने सामने बैठाकर राजीनामा करवा देने का आश्वासन देकर रवाना कर दिया था। उसके बाद मैं लगभग एक घंटा मोटाराम जी थानेदार से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के लिए थाने में रुका था क्यूंकि यदि मैं मोटाराम जी थानेदार से बात करके या मिलकर नहीं जाता तो वह मेरे से नाराज होकर मेरे 376 के मामले में मुझे गिरफ्तार करवा सकते थे तथा मेरा राजीनामा भी अटका सकते थे, क्यूंकि वह लगातार मेरे मुकदमे की फाईल के जांच अधिकारी व रीडर हनुमानजी के संपर्क में हैं और वह लोग भी मोटाराम जी थानेदार के अनुसार ही मेरे पक्ष में काम कर रहे हैं, मोटाराम जी थाने के वरिष्ठ अधिकारी हैं तथा उनकी थाने में अच्छी चलती है। इसके बाद काफी देर इंतजार के बाद मोटाराम जी ने अपने कमरे से बाहर आकर मुझसे बात की थी। जब मैंने मेरे मुकदमे को पंचायती कर सलटाने के काम के लिए उनके द्वारा मांगे हुए 50000 रुपये ज्यादा होने की बात कही तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम कितने कर सकते हो तो मैंने उन्हें कहा कि मैं 10000 रुपये कर सकता हूं, जिसे उन्होंने नकारते हुए 20000 रुपये की रिश्वत ले आने की बात मुझसे की है।" परिवादी के बताए अनुसार आरोपी थानेदार द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की जानी पाई गई। परिवादी को ट्रांसकिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के बारे में बताया गया और कन्हैयालाल कानि. के साथ बीकानेर आने का कहने पर परिवादी ने बताया कि "मुझे अभी बहुत जरुरी घरेलू कार्य है, मैं दिनांक 11.12.2022 को शाम तक बीकानेर आ सकता हूं।" इस पर कन्हैयालाल कानि. मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार सूरतगढ से रवाना होकर ब्यूरो चौकी बीकानेर पहुंचा व परिवादी के बताए तथ्यों को दोहराया। कन्हैयालाल कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में ऑडियो रिकॉर्ड होनी पाई गई। ऑडियो फाईल को सुना जाने पर परिवादी के बताए अनुसार तथ्य होने पाए गए। दिनांक 11.12.2022 को परिवादी के आगमन पर ट्रांसकिप्ट तैयार करने की कार्यवाही किया जाना तय हुआ।

दिनांक 11.12.2022 को श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से संभावित कार्यवाही के तथ्यों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया व मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ट्रैप कार्यवाही की संभावना को देखते हुए मौखिक निवेदन किया जाने पर दो कार्मिक श्री जावेद कोहरी पुत्र स्व. फिरोज खान कोहरी उम्र 42 वर्ष निवासी फिरोज मंजिल, भवानी होटल के पीछे, गंगाशहर रोड, पुलिस थाना कोटगेट, जिला बीकानेर, वर्तमान पद–वरिष्ठ सहायक, कार्यालय नगर निगम, बीकानेर व श्री दिलीप तेजी पुत्र शिवलाल तेजी, उम्र 39 वर्ष निवासी वाल्मीकि बस्ती, पुरानी लाईन गंगाशहर, बीकानेर वर्तमान पद–सहायक प्राशासनिक अधिकारी, कार्यालय नगर निगम, बीकानेर ब्यूरो में उपस्थित हुए जिन्हें दिनांक 12.12.2022 को समय 07:30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थिति हेतु निर्देशित कर रवाना किया गया। समय 09:15 पीएम पर परिवादी श्री मनफूल ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हुआ जिसको ब्यूरो कार्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।

दिनांक 12.12.2022 को समय 12:30 एएम पर परिवादी श्री मनफूल की उपस्थिति में दिनांक 09.12.2022 व 10.12.2022 को संपन्न हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की ऑडियो क्लिप को कन्हैयालाल कानि. की सहायता से सुना जाना प्रारंभ कर समय 08:10 एएम तक फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 09.12.2022 व 10.12.2022 की दो ऑडियो क्लिप को दो पैन ड्राइव में कॉपी किया गया। एक पैन ड्राइव को प्लास्टिक कवर में डालकर कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया व दूसरे पैन ड्राइव को अन्वेषण प्रायोजनार्थ सील कर खुली अवस्था में रखा गया। अब तक कार्यवाही में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक कवर में डालकर कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। अग्रतर कार्यवाही में एक पृथक् नवीन मेमोरी कार्ड प्रयुक्त किया जाना तय हुआ। उक्त वजह सबूतों को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट से आरोपी अधिकारी श्री मोटाराम थानेदार पुलिस थाना सूरतगढ द्वारा परिवादी श्री मनफूल से उसके थाने में चल रहे मुकदमे को पंचायती करवाकर सलटा देने की ऐवज में 20000 रुपये की रिश्वत की मांग करने व आरोपी थानेदार द्वारा परिवादी के मामले में निरंतर रुचि प्रदर्शित करनी पाई गई। अतः आरोपी अधिकारी श्री मोटाराम थानेदार के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही आयोजन के बारे में परिवादी श्री मनफूल को जानकारी प्रदान की गई। परिवादी द्वारा ट्रैप कार्यवाही हेतु सहमत होने पर परिवादी को रिश्वत राशि 20000 रुपये की व्यवस्था कर लाने के निर्देश दिए गए। परिवादी ने स्वयं के पास 20000 रुपये की व्यवस्था होना बताया। परिवादी को ब्यूरो चौकी पर रहने के निर्देश दिए गए। समय 08:20 एएम पर पाबंदशुदा दोनों गवाह श्री जावेद कोहरी–वरिष्ठ सहायक व श्री दिलीप तेजी एएओ कार्यालय पर उपस्थित हुए। दोनों कार्मिकों द्वारा ब्यूरो की कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर रहने की सहमति व्यक्त की गई। दोनों साक्षिगण का परिवादी से आपसी परिचय करवाया जाकर अब तक की कार्यवाही के तथ्यों, आरोपी की रिश्वत मांग व परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया। दोनों कार्मिकों को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए।

इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर परिवादी श्री मनफूल ने कार्यवाही हेतु आरोपी श्री मोटाराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रुपये के 40 नोट कुल 20000/– रुपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए–

कम संख्या	नोट का विवरण	नंबर नोट
1.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	0KP 957653
2.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	9RA 168022
3.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6HL 449416
4.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6KC 766467
5.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	0LD 732434
6.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	7DC 741482
7.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	3HW 425730
8.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8DU 852233
9.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8BW 080630
10.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	3SR 920068
11.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6MC 421249
12.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	5GM 995287
13.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	5EK 821345
14.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6EM 363684
15.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6CF 832170

16.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8SB 125297
17.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	9CP 655994
18.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	3WF 974149
19.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	4VL 673847
20.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	0UL 632727
21.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6PL 133451
22.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	2CH 482985
23.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	4EP 279780
24.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	2UT 985434
25.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8SE 278482
26.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	7DC 797210
27.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8BK 422269
28.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	2EC 259796
29.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	3FH 363870
30.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6BU 196598
31.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	5QC 404901
32.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	1KF 255451
33.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	8SR 319277
34.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	3PU 502468
35.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	5CB 256103
36.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6GT 744193
37.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	0MF 097446
38.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	6WH 507819
39.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	2VE 846104
40.	एक 500 रुपये का नोट नंबर	5CD 014194

उपर्युक्त सभी नोटों पर फिनोल्पथलीन पॉउडर लगवाया जाकर विस्तृत फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही पृथक् से तैयार की गई।

समय 10:00 एएम मैं पुलिस निरीक्षक डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध मोटाराम थानेदार हेतु श्री श्रवण कुमार पुनि, बजरंग सिंह हैड कानि. 54, अनिल कुमार कानि. 186, हरीराम कानि. 210, मनोहरलाल कानि. 115, भगवानदास कानि. 134, रतन सिंह कानि. 151, कन्हैयालाल कानि. 312, दोनों साक्षिगण श्री जावेद कोहरी–वरिष्ठ सहायक व श्री दिलीप तेजी एएओ व परिवादी श्री मनफूल सहित दो निजी वाहनों से ब्यूरो चौकी बीकानेर से पुलिस थाना सूरतगढ के लिए रवाना हुआ। समय 01:20 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय एक नवीन मेमोरी कार्ड अग्रतर कार्यवाही हेतु कन्हैयालाल कानि. को सुपुर्द किया गया। कानि. को निर्देशित किया गया कि गोपनीय स्थान पर पहुंचकर रिश्वत लेनदेन कार्यवाही हेतु परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके पुलिस थाना सूरतगढ के लिए रवाना करें। परिवादी श्री मनफूल को उचित निर्देश प्रदान कर कन्हैयालाल कानि. के साथ रवाना किया गया। ब्यूरो की समस्त ट्रैप टीम मय स्वतंत्र गवाहों को उचित निर्देश प्रदान कर पुलिस थाना सूरतगढ के आस पास तैनाती के निर्देश दिए गए। समय 02:12 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक की परिवादी श्री मनफूल से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता हुई, परिवादी ने बताया कि "आरोपी ने मुझे पहले गवाह लाने की बात कही है, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तुझसे पहले कोई बात नहीं करुंगा, तू पहले गवाह लेकर आ।" इस पर परिवादी को कन्हैयालाल कानि. से संपर्क करके डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद करवाने के निर्देश दिए गए। कन्हैयालाल कानि. को भी इस बारे में अवगत करवाया गया। समय 02:26 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक की कन्हैयालाल कानि. से जरिये मोबाइल कॉल पर वार्ता हुई। कानि. ने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त करके ऑफ कर लेना बताया। कानि. ने परिवादी से बात करवाई तो परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "आरोपी थानेदार मोटाराम जी के कहे अनुसार मैं अभी मेरी बहन व जीजा को लेने जा रहा हूं, मैं उनको थाने में लाकर मेरे मामले में बयान करवा दूंगा, जिसके बाद ही मोटाराम जी थानेदार मुझसे रिश्वत प्राप्त कर लेंगे, मेरी बहन का घर कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है।" समस्त ट्रैप दल को इस संबंध में अवगत करवाया गया। समय 03:52 पीएम पर मुझ

पुलिस निरीक्षक की परिवादी व कन्हैयालाल कानि. से वार्ता संपन्न हुई। परिवादी ने बताया कि "मैं अपनी बहन व जीजा को ले आया हूं, जो थाने के पास ही हैं। मैं उन्हें थाने ले जाकर मोटाराम जी से मिल लूंगा तथा उनके कहे अनुसार इनके बयान दर्ज करवाकर रिश्वत लेनदेन की कार्यवाही करवा दूंगा।" कन्हैयालाल कानि. को परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर रवाना करने के निर्देश दिए गए। समस्त ट्रैप दल मय स्वतंत्र गवाहों को कार्यवाही के संबंध में पुनः सतर्क किया गया। समय 04:26 पीएम पर कन्हैयालाल कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "परिवादी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर वापस लाकर सुपुर्द किया है जिसे मैंने बंद कर लिया है।" मुझ पुलिस निरीक्षक से मोबाइल वार्ता में परिवादी ने बताया कि मैं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सहित मेरी बहन व जीजा को लेकर मोटाराम जी थानेदार के पास गया तो आरोपी थानेदार श्री मोटाराम जी ने इस बार मुझसे बात ही नहीं की और मुझे दूर से ईशारा करके हनुमानजी रीडर के पास जाने का कह दिया था, जिस पर मैं मेरी बहन व जीजा को लेकर हनुमानजी रीडर के पास गया था तो उन्होंने मेरी बहन व जीजा के बयान लेने से मना कर दिया कि यह लोग तुम्हारे गांव के नहीं हैं, इनके बयान नहीं हो सकते हैं, जिस पर मैंने उनको गांव के लिए रवाना कर दिया है, मेरी बहन व जीजा को ट्रैप संबंधी कार्यवाही की जानकारी नहीं है।" परिवादी ने बताया कि "थानेदार मोटाराम जी का व्यवहार मेरे प्रति पहले की तरह न होकर बदला हुआ लग रहा था, ऐसा हो सकता है कि उनको मुझ पर कोई शक हो गया है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीय स्थान पर मिलने के निर्देश प्रदान किए गए। समस्त ट्रैप दल को कार्यवाही की प्रगति के बारे में अवगत करवाया गया। परिवादी श्री मनफूल से गोपनीय स्थान पर संपर्क कर अब तक की ट्रैप कार्यवाही के संबंध में विचार विमर्श किया गया। परिवादी ने अपनी पूर्व की बातों को दोहराते हुए मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "यदि मैं पुनः थाने जाकर आरोपी थानेदार से संपर्क करुंगा तो वह मुझ पर नाराज होकर मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकता है, इसलिए पुनः संपर्क करने का प्रयास उचित नहीं होगा। मैं अब मेरी ओर से आरोपी थानेदार श्री मोटाराम जी से संपर्क का कोई प्रयास नहीं करुंगा, थानेदार द्वारा मुझसे यदि कोई संपर्क करने की कोशिश की जाएगी तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, जिन लोगों के बयान थाने में मेरे मामले में दर्ज करवाए जाने हैं मैं उन लोगों को ही थाने पर भेज दूंगा, स्वयं नहीं जाउंगा। जैसे ही मेरे मुकदमे में गवाहों के बयानों को दर्ज करने की कार्यवाही हो जाएगी तो आरोपी थानेदार श्री मोटाराम जी मुझसे रिश्वत प्राप्त करने के लिए संपर्क कर लेंगे।" अब तक के समस्त हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए व निर्देश प्राप्त किए गए। मैं पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री मनफूल व दोनों गवाहों को साथ लेकर गोपनीय स्थान पर पहुंचा। गवाह श्री दिलीप तेजी–एएओ को निर्देश दिए जाकर परिवादी की पहनी जैकेट में रखी रिश्वती राशि के नोटों को निकलवाकर चैक करवाया गया। उक्त रिश्वती राशि को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा एक अखबार में रखवाकर प्राप्त किया गया व रिश्वती राशि को स्वयं के पास आगामी कार्यवाही के लिए सुरक्षित रखा गया। परिवादी को निर्देश प्रदान किए गए कि यदि आरोपी थानेदार श्री मोटाराम द्वारा किसी प्रकार से आपसे संपर्क किया जाता है तो अविलंब मुझ पुलिस निरीक्षक को इसकी सूचना दें व मुकदमे संबंधी प्रगति के बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाएं। परिवादी को दिनांक 12.12.2022 की रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसकिप्ट कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय बीकानेर चलने का कहने पर परिवादी ने बताया कि "मेरी माताजी वृद्ध व बीमार हैं, मेरा गांव जाना आवश्यक है, मैं बीकानेर नहीं चल सकता हूं, समय मिलते ही ट्रांसकिप्ट कार्यवाही के लिए मैं आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।" परिवादी को उसके बताए अनुसार गोपनीय स्थान पर छोड़ा जाकर समस्त ट्रैप दल मय स्वतंत्र गवाहों को लेकर निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय, बीकानेर के लिए रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय, बीकानेर पहुंचा। कन्हैयालाल कानि. से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया, चैक करने पर रिकॉर्डिंग होनी पाई गई जो कि परिवादी के उपस्थित होने पर सुनी जाकर ट्रांसकिप्ट तैयार किया जाना तय हुआ। अखबार में लपेटी हुई रिश्वती राशि को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दोनों गवाहों श्री दिलीप तेजी व श्री जावेद कोहरी को ब्यूरो की कार्यवाही की निरंतरता में आवश्यकतानुसार पुनः उपस्थिति दिए जाने के निर्देश प्रदान किए जाकर ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया।

दिनांक 13.12.2022 को समय 01:31 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनफूल से मोबाइल कॉल से वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि "मुझे आज पुलिस थाना सूरतगढ से हनुमानजी रीडर ने कॉल करके गवाह लाने के लिए कहा था तो मैंने उन्हें कल दिनांक 14.12.2022 को गवाह लेकर थाने पहुंचने का कहा है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दिनांक 14.12.2022 को वार्ता रिकॉर्डिंग व रिश्वत लेनदेन की संभावनाओं पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि "मैं कल डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर नहीं जाना चाहता हूं, क्यूंकि कल हमारी दोनों पक्षों की पंचायती होगी व लंबा समय लगेगा। पंचायती हनुमान रीडर द्वारा करवाई जाएगी,

हनुमानजी रीडर ने अब तक मुझसे सीधे तौर पर रिश्वत की मांग नहीं की है तथा कल भी ऐसी संभावना नहीं है। यदि इस दौरान मोटारामजी थानेदार द्वारा मुझसे रिश्वत की मांग की जाती है तो मैं उनसे अपने ढंग से वार्ता करके आगे का टाईम ले लूंगा।" परिवादी के उपुर्यक्त तथ्यों की जानकारी श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रदान की गई।

दिनांक 14.12.2022 को समय 03:28 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मनफूल से मोबाइल कॉल से वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि "आज मैं पुलिस थाना सूरतगढ नहीं गया था क्यूंकि जिन गवाहों को मुझे ले जाना था उन्होंने कल दिनांक 15.12.2022 को थाने चलने के लिए बोला है, इसलिए मैं कल दिनांक 15.12.2022 या आगे जिस भी दिन गवाहों को लेकर पुलिस थाना सूरतगढ जाउंगा, आपको सूचित कर दूंगा। मैं अपने साथ डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर पुलिस थाना सूरतगढ नहीं जाना चाहता हूं। परिवादी ने बताया कि आज मेरे पास थाने से कोई कॉल भी नहीं आई है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देशित किया गया कि मोटाराम जी थानेदार द्वारा रिश्वत मांग आदि संबंधी कोई कॉल या संपर्क करने पर अविलंब सूचित करें।

दिनांक 16.12.2022 को समय 03:31 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक की परिवादी श्री मनफूल से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता होने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि "मैं अभी सूरतगढ थाने में आया हुआ हूं, मैंने हनुमानजी रीडर के कहे अनुसार दो गवाहों की फोटो आईडी थाने के एक सिपाही को दी है, एसएचओ साहब और हनुमानजी रीडर किसी काम से श्रीगंगानगर गए हुए हैं, मोटारामजी थानेदार भी थाने में नहीं हैं और न ही मोटाराम जी द्वारा मुझसे कोई संपर्क किया गया है।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को निर्देशित किया गया कि मोटाराम जी थानेदार द्वारा रिश्वत मांग आदि संबंधी कोई कॉल या संपर्क करने पर अविलंब सूचित करें।

दिनांक 22.12.2022 को समय 01:45 पीएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक की परिवादी श्री मनफूल से जरिये मोबाइल कॉल वार्ता होने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि "मेरी पत्नी सुमन द्वारा मुझे कॉल करके मेरे साथ रहने की बात कहने पर मैं दिनांक 20.12.2022 को मेरे ससुराल सूरतगढ में जाकर मेरी पत्नी सुमन को अपने साथ अनूपगढ मेरे गांव में ले गया था। उसके बाद मैंने सूरतगढ थाने में भी मेरी पत्नी को ले जाकर बयान और पंचायती करवाकर राजीनामा लिखवाकर हनुमानजी रीडर को दे दिया था और अपनी पत्नी सुमन को वापस अनूपगढ मेरे गांव ले गया था। मुझसे हनुमानजी ने अनुसंधान कार्य के अलावा कोई बात नहीं की थी। मोटारामजी थानेदार भी मुझे थाने में नहीं मिले थे। अब मेरी पत्नी सुमन व मेरा बेटा मेरे साथ गांव में राजी खुशी रह रहे हैं। कुछ देर पहले मेरे पास हनुमानजी रीडर का कॉल आया था और मुझे कहा है कि 10–15 दिन बाद तुम्हारे मुकदमे की एफआर रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देंगे, सुमन के कोर्ट में बयान करवा देना, इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं की थी। मोटारामजी थानेदार द्वारा अब तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया गया है परंतु एफआर कोर्ट में पेश करते समय या उससे पूर्व वह मुझसे संपर्क करके अवश्य ही रिश्वत प्राप्त करेंगे। मोटारामजी द्वारा मुझसे रिश्वत प्राप्त करने हेतु संपर्क करने पर मैं उनसे एक दो दिन का समय लेकर आपको सूचित कर दूंगा।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को इस संबंध में अविलंब सूचित करने के निर्देश प्रदान किए गए। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से जरिये मोबाइल फोन संपर्क स्थापित रखा गया।

दिनांक 19.01.2023 समय 12:05 पीएम पर मोबाइल वार्ता में परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "अब तक एफआर कोर्ट में पेश नहीं की गई है, न ही मोटाराम जी थानेदार द्वारा मुझसे किसी प्रकार से रिश्वत प्राप्ति हेतु संपर्क किया गया है। अब श्री मोटाराम थानेदार द्वारा मुझसे रिश्वत मांगने की संभावना नहीं है क्यूंकि मोटाराम जी को शायद मुझ पर शक हो गया है। मैं थानेदार श्री मोटाराम जी उपनिरीक्षक के खिलाफ ट्रैप कार्यवाही हेतु दी गई रिश्वत राशि प्राप्त करने व मेरे अन्य काम के लिए बीकानेर आ रहा हूं।" परिवादी के देरी से बीकानेर पहुंचने को देखते हुए तथा गवाह उपस्थिति, ट्रांसक्रिप्ट व रिश्वत लौटाने आदि कार्यवाही के लिए परिवादी को दिनांक 20.01.2023 को 11:00 एएम पर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

दिनांक 20.01.2023 समय 10:45 एएम पर परिवादी श्री मनफूल ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा बताया कि "मोटाराम जी थानेदार को मुझ पर शक हो जाने की संभावना को देखते हुए उनकी ओर से मुझसे रिश्वत प्राप्ति के लिए संपर्क किए जाने की अब संभावना नहीं है, मैं अब मेरी पेश की हुई 20000 रुपये की रिश्वती राशि आपसे वापस प्राप्त करना चाहता हूं तथा मोटाराम थानेदार के खिलाफ चल रही ट्रैप कार्यवाही को आगे नहीं बढाना चाहता हूं, मेरी पत्नी सुमन तथा बेटा मेरे साथ दिनांक 20.12.2022 से रह रहे हैं व मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सं. 668/2022 में भी थाने से एफआर लग चुकी है। अतः मेरे द्वारा श्री मोटाराम थानेदार के खिलाफ अब तक करवाई जा चुकी कार्यवाही के आधार पर कानूनी कार्यवाही करें।"

इस पर परिवादी को मुझ पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 12.12.2022 की वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही तथा अन्य औपचारिकताओं की जानकारी प्रदान की गई तो परिवादी ने बताया कि मुझे आज जल्दी गांव पहुंचना आवश्यक है। इस पर गवाहों श्री दिलीप तेजी–एएओ व श्री जावेद कोहरी–वरिष्ठ सहायक को तलब किए जाने हेतु पत्र जारी कर श्री नरेंद्र हैड कानि. 87 को सुपुर्द किया गया। परिवादी को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। परिवादी की उपस्थिति की जानकारी श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। समय 12:50 पीएम पर श्री नरेंद्र हैड कानि. मय गवाह श्री दिलीप तेजी–एएओ मुझ पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित हुए। श्री दिलीप तेजी ने बताया कि गवाह श्री जावेद कोहरी–वरिष्ठ सहायक आज आकस्मिक अवकाश पर हैं। अतः आगामी कार्यवाही के लिए ब्यूरो चौकी से श्री इमरान खान–कनिष्ठ सहायक को तलब किया जाकर अग्रतर कार्यवाही के लिए स्वतंत्र गवाह के रुप में रहने की सहमति प्राप्त की गई। ब्यूरो चौकी पर उपस्थित परिवादी श्री मनफूल का उपस्थित दोनों गवाहों श्री दिलीप तेजी व इमरान खान से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री मनफूल ने मुझ पुलिस निरीक्षक को एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें परिवादी के पूर्व में मौखिक दर्ज करवाए गए आशय के तथ्य होने पाए गए। परिवादी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का दोनों गवाहों का अवलोकन करवाया गया। दिनांक 12.12.2022 को ट्रैप आयोजन के दौरान रिकॉर्ड ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही तथा अन्य औपचारिकताओं के पश्चात् परिवादी श्री मनफूल को रिश्वत राशि लौटाने की कार्यवाही किया जाना तय हुआ। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आलमारी से कार्यवाही से संबंधित डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को निकाला जाकर कार्यालय कंप्यूटर से कनैक्ट किया गया। श्री कन्हैयालाल कानि. की सहायता से परिवादी व गवाहों की उपस्थिति में ट्रैप आयोजन दिनांक 12.12.2022 को रिकॉर्ड वार्ताओं की 2 ऑडियो क्लिप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट समय 01:10 पीएम पर तैयार की जानी प्रारंभ कर समय 04:15 पीएम तक रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। मेमोरी कार्ड में सुरक्षित रिकॉर्ड वार्ताओं की 2 ऑडियो क्लिप फाईल को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पैन ड्राईव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर सेपटी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया गया। दिनांक 20.01.2023 के उपर्युक्त तीन वजह सबूत व दिनांक 12.12.2022 के तीन वजह सबूत कुल 6 वजह सबूतों को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। समय 04:25 पीएम पर कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 68 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील पृथक् से तैयार की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर मुझ पुलिस निरीक्षक के द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए 20000 रुपये रिश्वत राशि को आलमारी से निकालकर उपस्थित गवाहों के समक्ष नोटों का मिलान करवाया जाकर झाड़ पोंछ कर परिवादी को सुपुर्द किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राशि सुपुर्दगी की रसीद प्राप्त की गई। उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् परिवादी श्री मनफूल तथा उपस्थित गवाहों श्री दिलीप तेजी–एएओ व श्री इमरान खान–कनिष्ठ सहायक को कार्यवाही से मुक्त किया जाकर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान पाया गया कि परिवादी श्री मनफूल पुत्र लालाराम जाति मेघवाल उम्र 37 वर्ष निवासी चक 3–के, गांव 15ए–बी, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 08.12.2022 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर पर एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें मोटाराम थानेदार, थाना सूरतगढ शहर द्वारा परिवादी के विरुद्ध उसकी पत्नी द्वारा दर्ज करवाए गए 376 भादसं के मुकदमे में एफआर लगाने के नाम से 50000 रुपये की मांग करने के तथ्य अंकित कर विधिवत् कार्यवाही हेतु निवेदन किया था। श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रतर कार्यवाही करते हुए दिनांक 09.12.2022 व 10.12.2022 को परिवादी श्री मनफूल को पुलिस थाना सूरतगढ शहर में भेजकर आरोपी श्री मोटाराम थानेदार से रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाई गई। उपर्युक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई जिसमें आरोपी अधिकारी श्री मोटाराम थानेदार पुलिस थाना सूरतगढ शहर द्वारा परिवादी श्री मनफूल से उसके थाने में चल रहे मुकदमे को पंचायती करवाकर सलटा देने की ऐवज में 20000 रुपये की रिश्वत की मांग करनी पाई गई व आरोपी थानेदार द्वारा परिवादी के मामले में निरंतर रुचि प्रदर्शित होनी पाई गई। कार्यवाही के दौरान उपलब्ध हुए तथ्यों के अनुसार परिवादी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 668 दिनांक 06.12.2022 धारा 450, 376, 420, 120बी, 323 भादसं पुलिस थाना सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के अनुसंधान अधिकारी थानाधिकारी श्री रामकुमार पुलिस निरीक्षक थे व रीडर का कार्य हनुमान नामक

पुलिसकर्मी द्वारा किया जा रहा था। परिवादी की सहमति पश्चात् दिनांक 12.12.2022 को आरोपी श्री मोटाराम थानेदार के विरुद्ध 20000 रुपये में ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया व होने वाली वार्ता की डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करवाई गई। परंतु ट्रैप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी को परिवादी पर शक होने की संभावना के कारण आरोपी श्री मोटाराम थानेदार द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की गई, न ही रिश्वत राशि प्राप्त करने में कोई रुचि प्रकट की गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री मनफूल द्वारा आरोपी को शक हो जाने की संभावना, परिवादी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में एफआर लग जाने तथा परिवादी की पत्नी परिवादी के पास राजी खुशी रहने लग जाने के तथ्यों की जानकारी मुझ पुलिस निरीक्षक को दी गई व आरोपी द्वारा रिश्वत के लिए परिवादी से संपर्क करने की संभावना नहीं होना अवगत करवाया। परिवादी द्वारा दिनांक 20.01.2023 को एक प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाकर रिश्वत राशि लौटाने तथा अब तक की कार्यवाही के आधार पर श्री मोटाराम थानेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक 12.12.2022 की संपन्न वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट दिनांक 20.01.2023 को तैयार की जाकर प्रकियानुसार रिश्वत राशि 20000 रुपये परिवादी श्री मनफूल को लौटाए गए।

इस प्रकार आरोपी श्री मोटाराम पुत्र जोराराम निवासी गांव रामका, पो. न्यौलवी, तहसील व थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ़ वर्तमान पदस्थापित–उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर का उपर्युक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री मोटाराम–उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी एफआईआर कता कर वास्ते पंजीयन एवं कमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर

क्रमांकः–गंगा/बलशाखा/परिशिष्ठ "द"/2023/2531 दिनांकः–20.04.2023

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
एसीबी, यूनिट बीकानेर,
जिला बीकानेर

विषयः–सेवा विवरण श्री मोटाराम उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरतगढ़ शहर, जिला श्रीगंगानगर की सूचना के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्र क्रमांक एसीबी/बीका/2023/2105 दिनांक 19.04.2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री मोटाराम उप निरीक्षक, पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर के संबंध में चाहा गया सेवा विवरण प्रेषित है।

1.	नाम	श्री मोटाराम
2.	पिता का नाम	श्री जोरा राम
3.	पूर्ण पता	गांव रामका, पोस्ट न्यौलखी, तहसील व थाना रावतसर, जिला हनुमानगढ
4.	पदनाम	उप निरीक्षक
5.	सेवा संवर्ग	अधीनस्थ सेवा
6.	वेतन श्रृंखला	लेवल एल–11
7.	मूल वेतन	46500/–
8.	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक	01.07.2023
9.	जन्म तिथि	10.07.1982
10.	प्रथम नियुक्ति तिथि	27.05.2014
11.	सेवा निवृति तिथि	31.07.2042
12.	सेवा से पृथक करने में सक्षम अधिकारी का नाम व पदनाम	महानिरीक्षक पुलिस
13.	मोबाईल नम्बर	9460215042

भवदीय,

(सतनाम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
श्रीगंगानगर।

Received by email
forcebranch.sp.sgnr@gmail.com
20.04.23

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री मोटाराम पुत्र श्री जोराराम, उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सूरतगढ शहर, जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 89/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 709-12 दिनांकः 21.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

21.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।